सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 192/प्रा0पत्र/2023 दायरा दिनांक :–13.09.2023

GCMS ID–2023/369

1. राजेश जागिड आ0 रामस्वरूप जागिड जाति खाती निवासी रोणीजा हाल नि0 ए 10 गणेश नगर–6, चरण नदी, बेनाड रोड मुरलीपुरा, जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री जगदीश प्रसाद गुर्जर
अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार।

दिनांक :– 31/01/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 40 खसरा संख्या 1476 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1492 रकबा 0.3561 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1493 रकबा 0.3480 हैक्टेयर, खसरा संख्या 968 रकबा 0.2266, खसरा संख्या 969 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, खसरा संख्या 970 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 973 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, खसरा संख्या 975 रकबा 0.3723 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.6062 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 39 खसरा संख्या 1517 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1518 रकबा 0.1538 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1522 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1643 रकबा 0.4775 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.0441 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 37 खसरा संख्या 1475 रकबा 0.0324 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 38 रकबा 971 रकबा 0.1700 वाके ग्राम रोणीजा पटवार मण्डल रोणिजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0 में स्थित है, जो जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 मे प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है, भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी के पिता रामस्वरूप जागिड जी थे, प्रार्थी के पिता की मृत्यु के बाद जमाबंदीयों में दर्ज किए गए वारिसान के नामों में प्रार्थी राजेश जागिंड के स्थान पर राजू अशुद्ध दर्ज कर दिया गया है, जबकि प्रार्थी के पिता रामस्वरूपजी जागिड जी के राजू नाम का कोई पुत्र नहीं है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना पुछताछ किए व प्रार्थी से दस्तावेज प्राप्त किए बिना जमाबंदीयों में राजेश जागिड के बजाय राजू अंकित किया गया है, जो इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। राजू आ0 रामस्वरूप के स्थान पर राजेश जागिंड

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

आ0 रामस्वरूप जागिंड दर्ज किया जाना चाहिए। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेज में यानि आधार कार्ड, बैंक डायरी, ड्राईविंग लाईसेंस, श्रमिक डायरी, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, पेन कार्ड, लाईट बिल आदि में प्रार्थी का नाम राजेश जागिड आ0 रामस्वरूप जागिड ही दर्ज है, केवल प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में प्रार्थी का नाम राजू आ0 रामस्वरूप गलत दर्ज कर दिया गया है, प्रार्थी के पहचान के सभी दस्तावेज राजेश जागिड आ0 रामस्वरूप जागिड के नाम से होने से व जमाबंदी में राजू आ0 रामस्वरूप दर्ज कर दिये जाने से प्रार्थी उक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति हो रही है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित जमाबंदियों में प्रार्थी का नाम राजू आ0 रामस्वरूप गलत दर्ज किया हुआ है, उक्त इन्द्राज अशुद्ध है, जिसके इन्द्राज को दुरूस्त कर राजेश जागिड आ0 रामस्वरूप जागिंड दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। श्रीमान को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अवैध व गलत इंट्री को शुद्ध करने का लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर की हैसियत से अधिकार है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों में दर्ज राजू आ0 रामस्वरूप के गलत इन्द्राज को विलोपित करवाकर/दुरूस्त करवाकर उक्त स्थान पर राजेश जागिंड आ0 रामस्वरूप जागिंड दर्ज करवावे। प्रार्थी ने दिनांक 02.09.2023 को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नाम के गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन उन्होंने न्यायालय के आदेश के बिना गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया है, यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्यायशुल्क मय तलबाने पर प्रस्तुत है। भूमिया ग्राम रोणिजा पटवार मण्डल रोणिजा तहसील हिण्डोली में विरिथत होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 40 खसरा संख्या 1476 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1492 रकबा 0.3561 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1493 रकबा 0.3480 हैक्टेयर, खसरा संख्या 968 रकबा 0.2266, खसरा संख्या 969 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, खसरा संख्या 970 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 973 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, खसरा संख्या 975 रकबा 0.3723 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.6062 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 39 खसरा संख्या 1517 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1518 रकबा 0.1538 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1522 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1643 रकबा 0.4775 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.0441 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 37 खसरा संख्या 1475 गे0मु0चाह व भूमि खाता संख्या 38 रकबा 971 रकबा 0.1700 गे0मु0चाह वाके ग्राम रोणीजा पटवार मण्डल रोणिजा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी की जमाबंदीयों मे दर्ज राजू आ0 रामस्वरूप के इन्द्राज को विलोपित कर/दुरूस्त कर उक्त स्थान पर राजेश जागिंड आ0 रामस्वरूप जागिंड दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रार्थी को प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अंकित भूमि में दर्ज राजू पुत्र रामस्वरूप के स्थान पर राजेश

Email sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जागिड पुत्र रामस्वरूप दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रकरण में नायब तहसीलदार दबलाना के पत्रांक :– राजस्व/25/06 दिनांक :– 08.01.2025 द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम रोणीजा के खाता संख्या 37, 38, 39 व 40 में वर्णित भूमियों में प्रार्थी का नाम राजू पुत्र रामस्वरूप दर्ज है जिसको प्रार्थी अपने दस्तावेजों के आधार पर राजेश जागिंड पुत्र रामस्वरूप दर्ज करवाना चाहता है। मौके पर उपस्थित सहखातेदारान/मौतबिरानों से जानकारी करने पर बताया गया कि राजू पुत्र रामस्वरूप व राजेश जागिंड पुत्र रामस्वरूप एक ही व्यक्ति का नाम है जो कि 10–15 वर्षो से जयपुर निवास कर रहा है। उक्त शुद्धि किए जाने में अपनी सहमति होना बताया है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम राजेश जागिंड पुत्र रामस्वरूप है जिसे राजू पुत्र रामस्वरूप के स्थान पर मुताबिक प्रार्थना के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि ''भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिंस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।''

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जबाव पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, श्रमिक कार्ड, स्थाई लेखा संख्या कार्ड, बैंक खाता डायरी, राशन कार्ड पेश किए है जिनमें प्रार्थी का नाम राजेश जागिंड पुत्र रामस्वरूप दर्ज है। प्रकरण में अप्रार्थी जबाव पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 40 खसरा संख्या 1476 रकबा 0.2752 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1492 रकबा 0.3561 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1493 रकबा 0.3480 हैक्टेयर, खसरा संख्या 968 रकबा 0.2266, खसरा संख्या 969 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, खसरा संख्या 970 रकबा 0.1700 हैक्टेयर, खसरा संख्या 973 रकबा 0.5423 हैक्टेयर, खसरा संख्या 975 रकबा 0.3723 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.6062 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 39 खसरा संख्या 1517 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1518 रकबा 0.1538 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1522 रकबा 0.2509 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1643 रकबा 0.4775 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.0441 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 37 खसरा संख्या 1475 रकबा 0.0324 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 38 रकबा 971 रकबा 0.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

1700 वाके ग्राम रोणीजा पटवार मण्डल रोणिजा तहसील हिण्डोली में दर्ज राजू पुत्र रामस्वरूप के स्थान पर राजेश जागिंड पुत्र रामस्वरूप शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 31.01.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

31/01/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446